न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम 7

मु. नं. 8/14 ता. रजू 21.1.14

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

इलियास खॉन पुत्र अब्दुल शहीद जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम (वादी)

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडाभीम
2. तहसीलदार टोडाभीम

(प्रतिवादी)

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री जाकिर खान एडवोकेट (वादी)
श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी नं. 1)

निर्णय

दिनांक 30.6.17

संक्षेप में वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टोडाभीम स्थित 11 स्थित भूमि खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.12 है०, 2069 रकबा 0.02 है०, 2070 रकबा 0.11 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 है० की खातेदारी वादी के नाम है। इस आराजी से वादी के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त की है। तथा आराजी के किसी दिशा में होकर कोई भी आम रास्ता नहीं है। और ना कभी रास्ता रहा है। प्रतिवादी नं. 1 आसामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर वादीगण की आराजी ख. नं. 2068, 2069, 2070 में होकर रास्ता निकलवाने पर उतारू है। वाका दिनांक 13.1.2014 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपनी आराजी पर बैठा था कि प्रतिवादी नं. 1 के कर्मचारी मौके पर आये तथा वादी से कहने लगे कि तुमने अपनी आराजी के गलत रूप से बाऊण्ड्री करली है। तू इसे हटाले अन्यथा हम प्रशासन की मदद से हटा देंगे। इस पर वादी ने उनसे कहा कि मैने मेरी आराजी की बाऊण्ड्री दिनांक 2.5.1994 को सीमा

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

ध्यान के आधार पर की है। इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। ना ही यहाँ होकर रास्ता है। इस पर प्रतिवादीगण नाराज होगये तथा कहने लगे कि हम तो यहाँ होकर रास्ता निकालेंगें इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब होगये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। वादी की भूमि मे होकर रास्ता-निकालने व बेदखल करने की धमकी देने से यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अत: दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 2068, 2069, 2070 ग्राम टोडाभीम विस्वा 11 के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत न करें आराजी मे होकर रास्ता न निकालें। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए तब इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी साक्ष्य में वादी एवं तीन गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। बयान दर्ज कराकर प्रदर्श डलवाये गये। दिनांक 5.12.15 को प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा तथा दर० 9 R.7 जाब्ता दीवानी पेश की। इस दर. का जबाब पेश होने के बाद बहस सुनकर न्यायहित मे यह दर. 9 R.7 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से जबाब पेश किया कि वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात में पूर्व मे होकर रास्ता चला आ रहा है। और मौके पर रास्ते का उपयोग हो रहा है। तथा कथित तारीख 13.1.2014 की बात एकदम मनगढ़न्त कपोल कल्पित अंकित की है पूर्व में ही रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग आमजन कर रही है उस रास्ते को रोकने के लिए गलत दावा पेश किया है इसके अलावा विशेष विवरण मे दर्ज किया है कि आम रास्ते की भूमि पर

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है जो अलमशहूर नाले से ताज खां तक जाता है। जिससे आम जन को परेशानी हो रही है। रास्ते से अवरोध हटाने के लिए कार्यवाही करने पर यह गलत दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई।

1. आया यह है कि ग्राम टोडाभीम बिस्वा ।। की आराजी खसरा नं. $\frac{2068}{0.12}$, $\frac{2069}{0.02}$ $\frac{2070}{0.11}$ की खातेदारी वादी के नाम रिकार्ड दर्ज है। प्रतिवादी नं. 1 का कोई संबंध नहीं है। उक्त आराजीयात में से जबरदस्ती रास्ता निकलवाने पर उतारू है। इसलिए उन्हें स्थायी निषे. से पाबन्द कराने का हकदार हूं।

(जिम्मे वादी)

2. आया यह है कि ख.नं. 2068, 2069, 2070 में पूर्व से होकर रास्ता चला आ रहा है तथा मौके पर रास्ता का उपयोग हो रहा है प्रतिवादीगण ने कोई धमकी नहीं दी है। वादी द्वारा आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जो अलमशहूर नाले से ताज खां तक जाता है। जिससे अवरोध हटाने की कार्यवाही करने पर गलत दावा पेश किया है। दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी नं. 1)

वादी ने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2068-2071 प्रदर्श 1, नकशा ट्रेस हाल की नकल प्रदर्श 2, नकशा ट्रेस साबिक की नकल प्रदर्श 3, नकल सीमाज्ञान दिनांक 2.5.94 प्रदर्श 4, प्रस्तुत किये है। वादी एवं गवाहान शकील S/o मुबारिक जाति मुसलमान तथा सन्तोष S/o ग्यारस्या जाति मीना निवासीयान टोडाभीम के शपथपत्र प्रस्तुत किये। जिनसे वकील प्रतिवादी ने जिरह की। प्रतिवादी वकील ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक रिकार्ड वादी

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं. 1 जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहता है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की खातेदारी की भूमि में से जबरदस्ती रास्ता न निकाले। प्रतिवादी वकील ने कहा कि मौके पर पहले से रास्ता है उसके आवागमन में बाधा नही करें।

तनकीवार निर्णय इस प्रकार है -

तनकी नं. 1 को सिद्ध करने का भार वादी का है। जमाबंदी सं. 2068-2071 प्रदर्श 1 के अनुसार ग्राम टोडाभीम विस्वा 11 की भूमि खसरा नम्बर 2068, 2069, 2070 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रेस के अनुसार नक्शा में रास्ता दर्ज नही है स्वतन्त्र गवाहान शकील एवं सन्तोष के बयानों के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान में होकर रास्ता नही है इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में तथा बखिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है

तनकी नं. 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नं. 1 का है किन्तु इन्होंने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है इसलिए यह तनकी बखिलाफ प्रतिवादी नं. 1 तय की जाती है

आदेश

दावा वादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम टोडाभीम विस्वा 11 की भूमि खसरा नम्बर 2068, 2069, 2070 में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे, आराजी में होकर रास्ता नहीं निकालें। मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)